मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल- 462011

फा.क्र./ / / 1498/1659/2020/50-2 भोपाल, दिनांक 5.09.2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-समस्त
मध्य प्रदेश

विषयः- पोषण माह को जनआंदोलन के रूप में संचालित करने हेतु पोषण अभियान अन्तर्गत अभिनव गतिविधियों के संबंध में।

---0000----

पोषण अभियान भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी अभियान है। अभियान में पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने पर विशेष जोर दिया गया है। पोषण अभियान अन्तर्गत प्रति वर्ष माह सितम्बर में पोषण माह का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के सभी वर्ग को शामिल कर पोषण विषय को प्राथमिकता में लाने को प्रयास किये जाने की पकिल्पना की गई है। पोषण अभियान अन्तर्गत निम्नलिखित अभिनव गतिविधियों का आयोजन किया जाना हैः-

1. पोषण सरकारः-

संकल्पनाः- स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय) का पोषण अभियान में सहभागिता एवं नेतृत्व सुनिश्चित करना।

उन्मुखीकरणः- सभी ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायो के सदस्यों का पोषण सरकार अवधारणा एवं संकल्पना हेतु जिले स्तर पर कार्यरत सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से उन्मुखीकरण किया जावेगा। इस हेतु पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेगें।

गतिविधियांः-

1. सभी ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरीय निकायों में ''पोषण संकल्प'' पारित किया जायेगा।
   (तिथि एवं कार्यक्रम के संदर्भ में पृथक से दिशा निर्देश प्रसारित होंगे।)
2. ग्राम/नगर की आंगनवाड़ी स्तर पर तैयार पोषण प्रबंधन रणनीति को एकीकृत कर सभी पंयायतों द्वारा पोषण विशेष ग्राम सभा के दौरान एवं नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका द्वारा निर्धारित तिथि में पारित किया जाएगा।

mailed to Dir.

3. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति तथा शहरी वार्ड स्वास्थ्य समिति द्वारा बैठक कर ग्राम/वार्ड की रणनीति कैलेंडर किया कर जारी किया जायेगा।
4. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति तथा शहरी वार्ड स्वास्थ्य समिति की बैठकों हेतु प्रति समिति रूपये राशि 500/- प्रदाय किया जायेगा। (उक्त बैठक विषय एवं गतिविधि कैलेंडर पृथक से जारी की जाएगी)
5. पंचायत/ नगरीय निकायों से आंगनवाड़ीवार अति गंभीर कुपोषित बच्चों की सूची साझा की जायेगी तथा उनके पोषण पुनर्वास हेतु सहयोग लिया जायेगा।
6. **''अन्नपूर्णा पंचायत/नगरीय निकाय''** की संकल्पना के अनुसार सामुदायिक स्तर पर खाद्य सामग्रियों यथा अनाज, फल, हरी साग-सब्जियां आदि का संग्रहण कर उन्हे अति कम वजन एवं अति गंभीर कुपोषित बच्चों के आहार में पोषकता बढ़ाने हेतु संबंधित परिवारों को प्रदाय किया जावेगा जिससें समुदाय एवं परिवार के साझा प्रयास से बच्चों को सामान्य पोषण स्तर पर लाया जा सके।
7. **सामुदायिक पोषण रसोई:- "अन्नपूर्णा पंचायत"** अवधारणा अन्तर्गत समुदाय के स्तर पर ग्राम के/नगर वार्ड के सभी परिवारों के सहयोग, खाद्य सामग्री के आदान-प्रदान को व्यवहार मे लाने हेतु प्रयास किया जाना है। सामुदायिक पोषण रसोई अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावे।
8. ग्राम स्तर पर सामान्य एवं प्रमुखता से खाए जाने वाले व्यंजनो को बनाने की विधि का ऑगनवाड़ी केन्द्र मे प्रदर्शन करना।
    - **8.1.** साप्ताहिक बाल भोज-प्रति सप्ताह शनिवार को 06 माह से 06 वर्ष के बच्चे हेतु समुदाय के सहयोग से गॉव की परम्परागत भोजन तैयार कर बाल भोज का आयोजन करना।
    - **8.2.** अति कम वजन/अति गंभीर कुपोषित बच्चे के परिवार के साथ ग्राम/नगर क्षेत्र के समृद्ध किसान/परिवारों से सहयोग लेकर पोषण मटका के माध्यम से खाद्य सामग्री/फल-सब्जी/ अनाज/उत्तम खाद्य का आदान-प्रदान कर साझा करना।
    - **8.3.** संबंधितों को बच्चों के पोषण स्तर मे सुधार से परिवार को नियमित रूप से अवगत कराना।
9. ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र में निवासरत बड़े जोत वाले संमृद्ध किसानों व विक्रेताओं को ग्राम पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा पोषण माह के दौरान यह संकल्प दिलाया जायेगा कि वह अपने क्षेत्र के कुपोषित बच्चे/खून की कमी वाले बच्चे, महिलाए, गर्भवती एवं धात्री माताओं के घर जा कर अपनी स्वेच्छा अनुसार खाद्य सामग्रियों यथा अनाज, फल, हरी साग-सब्जियां आदि साझा करेंगे।
10. ग्राम/नगरीय निकाय के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी विषयों जैसे - टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, पूरक पोषण आहार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रदाय खाद्य आदि सेवाओं की सामाजिक संपरीक्षा (Social Audit) ग्राम पंचायत /नगरीय निकायों की स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा मातृ सहयोगनी समिति एवं अन्य सर्तकता समितियों के माध्यम से किया जायेगा एवं ग्राम पचायत/नगर पंचायत/नगरीय निकाय को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त आधार पर पंयायत/निकायों द्वारा खराब पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतांको में सुधार हेतु संबंधित विभागों को पत्र जारी किया जायेगा।

2. साझी सेहत:-

पोषण अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक है कि इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाये एवं ग्राम/शहरी वार्ड स्तर पर सक्रिय सभी समितियों व विभागीय प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा इस हेतु पोषण माह के दौरान विभिन्न विभागों के के ग्राम/नगर वार्ड स्तरीय समितियों की बैठक कर उनके माध्यम से साझी सेहत के अभिनव प्रयास किया जावेगा। साझी सेहत अन्तर्गत बैठको के आयोजन एवं अभिसरण गतिविधियों हेतु प्रत्येक 6 माह के अवधि के लिये राशि रूपये 500/- VHSNC (Village Health Senitation and Nutrition Committee) के माध्यम से प्रदाय किया जावेगा। साझी सेहत आवधारणा अन्तर्गत निम्नानुसार गतिविधियों का आयोजन किया जाना है:-

1. **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:-**
   महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों की जावे:-
   - **1.1.** महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों को शामिल कर पोषण माह के दौरान प्रति शनिवार को कोविड 19 की सावधानियों का पालन करते हुये पोषण चौपाल का आयोजन किया जावेगा। पोषण चौपाल अन्तर्गत समूहों के साथ जीवन के प्रारम्भिक 1000 अनमोल दिवसों की सेवाओं पर चर्चा किया जावे एवं उसके लक्ष्य पूर्ति में समूह सदस्यों की भूमिका को उल्लेखित किया जावे।
   - **1.2. पोषण सोपान अवधारण** अन्तगर्त जिन बच्चों का 6 माह अथवा 180 दिवस पूर्ण हो गया है उन बच्चों के घर प्रति सप्ताह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा समुदाय के सहयोगी समूह सदस्यों द्वारा गृहभेंट किया जाकर बच्चे के ऊपरी आहार को समय से प्रारम्भ करने एवं उसकी निरन्तरता सुनिश्चित करने में मदद लिया जाना चाहिये। इन साप्ताहिक गृहभेंटो को पोषण सोपान गृहभेट के रूप में प्रोत्साहित किया जावे। 7 माह से 12 माह के बच्चों के परिवार में गृहभेंट कर बच्चे के ऊपरी आहार की शुरूआत एवं उसकी निरन्तरता को बनाये रखने के लिये परिवार को परामर्श दिया जावे। इस प्रकार प्रत्येक सप्ताह समूह के सदस्यों द्वारा अपने नजदीकी परिवार में पोषण सोपान भेंट कर बच्चे के ऊपरी आहार की निरन्तरता को परिवार के सहयोग से सुनिश्चित किया जावे।

2. **शाला प्रबंधन समिति:-**
   शाला प्रबंधन समिति द्वारा स्कूलों के प्रारम्भ होने पर बच्चों के मध्यान भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता की निगरानी के साथ-साथ पोषण माह के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-
   - **2.1.** ग्राम/नगर वार्ड के शासकीय शालाओं में साप्ताहिक पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सत्र का आयोजन करना।
   - **2.2.** ग्राम/नगर वार्ड के शासकीय शालाओं में जंहा पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, पोषण वाटीका विकसित करना।
   - **2.3.** शिक्षक दिवस के दौरान पोषण जागरूकता- स्थानीय आहार के उपयोग विषय पर गतिविधियों एवं आंवला, मुनगा, अमरूद, नीबू, कंरोदा, आम जैसे पौधे वृक्षारोपण का आयोजन करना।

6.2. पंचवटी से पोषण अंन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु आंवला, मुनगा, अमरूद, नीबू, कंरोदा, जैसे पौधे उपलब्ध कराये जाये।

6.3. ''अन्नपूर्णा पंचायत'' अवधारणा अन्तर्गत अति कम वजन एवं अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवार को विभिन्न सब्जियों एवं फलों के बीज आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से प्रदाय करने में सहयोग कराना।

6.4. समितियों द्वारा किसान समूहों के साथ पोषण आधारित कृषि हेतु संगोष्ठी का आयोजन कर उनका उन्मुखीकरण करना।

6.5. कम लागत वाले पोषक भोजन के तैयार करने की विधियों का प्रर्दशन किया जावे । ग्राम/नगर वार्ड/सेक्टर/परियोजना एवं जिला स्तर पर पुरुष भागीदारी के साथ व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित करना।

6.6. पोषण युक्त भोजन तैयार करने सम्बंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये जिसके माध्यम से डबल फोटीफाईड नमक के उपयोग का प्रचार प्रसार करना।

उपरोक्त सभी गतिविधियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के सहयोग से साझी सेहत अवधारणा अन्तर्गत पोषण माह के दौरान गतिविधियों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

रिपोर्टिंग:

1. **प्रत्येक** स्तर पर आयोजित प्रतिदिन के कार्यक्रम के फोटोग्राफ एवं हितग्राहियों की श्रेणीवार संख्या भारत सरकार के जन आंदोलन पोर्टल https://poshanabhiyaan.gov.in के डैशबोर्ड पर अपलोड करना होगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक स्तर पर निगरानी सुनिश्चित की जायेगी।
2. जन आंदोलन पोर्टल में एण्ट्री परियोजना स्तर से की जायेगी, जिसके आईडी एंव पासवर्ड एम.आई. एस. में अपलोड किए जा चुके हैं।
3. सितम्बर माह के दौरान विभिन्न स्तरों पर होने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन के अधिकारियों के दलों द्वारा औचक निरीक्षण अथवा वरचुवल सम्पर्क किया जायेगा।

उपरोक्तानकुसार पोषण माह के दौरान आपके जिले में पोषण माह के सफल क्रियान्वयन हेतु अधीनस्तों को निर्देशित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठांकन

फा.क्र./ 1499 / 1659/ 2020/50-2 भोपाल, दिनांक 5.09.2020

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, महिला एंव बाल विकास भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव ..... विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. मिशन संचालक, छभ्ड, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. राज्य प्रतिनिधि यूनीसेफ/न्युट्रिशन इन्टरनेशनल/क्लिंटन फाउंडेशन/जी.आई.जेड/डब्ल्यु.एच.एच./पीरामल फाउण्डेशन/ए.ए.एच./सीएनएफएस/टाटा ट्रस्ट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास
विभाग